जिला–सुपौल।
न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्

एन.डी.पी.एस. वाद संख्या–34/2023
वीरपुर थाना कांड संख्या–191/2023

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री धर्मेन्द्र कामत

::आदेश::

09/10/2023

काराधीन आवेदक अभियुक्त, **महावीर कामत** की ओर से पूर्व से दाखिल नियमित जमानत आवेदन जो कि वीरपुर थाना कांड संख्या–191/2023, धारा–8(c), 21(a) N.D.P.S Act के अधीन है, को आज प्रचालित किया गया तथा न्यायालय द्वारा सुना गया।

प्रस्तुत वाद सूचक, मिहिर कान्ति नाथ, सहायक उप–निरीक्षक के फर्दबयान के आधार पर वीरपुर (ललित ग्राम ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 191/2023 अन्तर्गत धारा 8(c),21(a) N.D.P.S. Act के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन यह है कि दिनांक 15.06.2023 को नेपाल से आ रहे एक वाहन निबंधन संख्या JH05DJ9570 को शक के आधार पर रोका गया, **जिससे सह अभियुक्त वाहन चालक बाहर निकल कर बताये कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इस वाहन में बैठे चारों व्यक्तियों की चेकिंग की जाय**। वाहन में बैठे सभी चार अभियुक्तों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुमन कुमार, आशीष कुमार, विवेक कुमार एवं **महावीर कामत** बताये। स्थानीय दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष बारी बारी से विधिवत् जॉच करने पर सभी के पास से कुल दो ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में ब्राउन शुगर सभी अभियुक्तों के पास से **कुल दो ग्राम** बरामद किया गया है, परंतु आवेदक अभियुक्त के पास से लगभग आधा ग्राम बाउन सुगर ही बरामद हुआ। आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद में **दिनांक 16.06.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है।** प्रस्तुत वाद में **दो सह अभियुक्तों को जमानत का लाभ दिया गया है।** अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि अभियुक्त आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

लगातार

लगातार
09.10.2023

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक श्री धर्मेन्द्र कामत जमानत आवेदन का विरोध करते तथा आगें कहते हैं कि कुल चार अभियुक्तों के पास से **कुल दो ग्राम ब्राउन सुगर** की बरामदगी हुई है। इसलिए माना जाऐगा कि आवेदक अभियुक्त के पास से आधा ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किया गया है, जो कि अल्प मात्रा में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा **आवेदक अभियुक्त के कब्जे से अल्प मात्रा में ब्राउन सुगर बरामद होने**, **न्यायिक अभिरक्षा (दिनांक 16.06.2023)** तथा **दो सह अभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ दिये जाने** को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **महावीर कामत** को मो0 10,000 हजार रूपये के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, आवेदक अभियुक्त का एक जमानतदार उसका **नजदीकी रिश्तेदार होंगे,** आवेदक अभियुक्त आरोप के गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे तथा बिना किसी अति विशेष कारण के लगातार दो तिथियों से ज्यादा तक अनुपस्थित होने पर बंध पत्र स्वतः खंडित हो जाएगा।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि अभियुक्त पढ़ा–लिखा है तथा कुछ सामाजिक सेवा करना चाहता है। अतः आवेदक अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वो **पांचवीं कक्षा तक के 05 बच्चों, जिसमें दो बच्चे अनुसूचित जाति के एवं तीन बच्चे सामान्य वर्ग के होंगे, को छः महीने तक दो घंटे प्रतिदिन मुफ्त पढ़ायेंगे** जिसका प्रमाण पत्र छः माह के बाद **बच्चों के** माता/पिता से हस्ताक्षरित करवा कर मुखिया/ सरपंच/ वार्ड पार्षद से प्रमाणित किया हुआ, प्राप्त कर न्यायालय को समर्पित करेंगे।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्
व्यवहार न्यायालय, सुपौल।
दिनांक 09.10.2023